

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा सकता है।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यह व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्रान : चूनीगरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ २१४

दिनांक: २४/५/१३...

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध डॉ.अन्वेदकर महाविद्यालय सिद्धि पुरा दुर्गापुर लहार मिण्ड (9893891514) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.- प्रथम (आ.पा. दिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र), अति.विषय- अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सैन्यविज्ञान, इतिहास, भूगोल, बी.एस-सी- प्रथम (आ.पा., गणित, फिजिक्स, सायन), अति.विषय- नाइकोबायोलॉजी, जूलोजी, बोटनी, कम्युनिटी साइंस, बायोइंजीनियरिंग, बी.बी.ए.- प्रथम, बी.सी.ए.- प्रथम पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

1. डॉ. विकेंद्र बापट, आचार्य, समाजकार्य अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर (संयोजक) (9826217320)
2. डॉ. ए.के. हल्के, आचार्य, रसायन अ.शा.
3. डॉ. कमल जैन, पी.जी.ही. कॉलेज, ग्वालियर
4. डॉ. पूष्करानं शर्मा, आचार्य, वाणि. एवं प्रबंधन अ.शा.
5. डॉ. अंशु चतुर्वेदी, एम.आई.टी.एस. कॉलेज, ज्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा प्रिष्ठों सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये जिर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धदण्ड जना कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुद्धा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर